राजीव गांधी विश्वविद्यालय

(भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय)

रोनो हिल्स, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश - ७९१११२, भारत

अनिवार्य प्रकटीकरण

२०२३-२०२४

(भाग-सी)

प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफ़ेस

प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफ़ेस

3.1. नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [धारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक .15.04.2013]

3.1.1. प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज़ जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं

निम्नलिखित जानकारी राजीव गांधी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में विभिन्न विभागों, केंद्रों, शाखाओं और कार्यालयों से प्राप्त की गई है। निम्नलिखित सूची सूचना के मुख्य शीर्षक हैं जिनमें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rgu.ac.in पर विभिन्न उप-शीर्षकों के अंतर्गत विस्तृत जानकारी शामिल है।

विवरण	आरजीयू वेबसाइट लिंक
1. संगठन के बारे में	
2. विजन और मिशन	
3. अधिनियम एवं अध्यादेश	
4. महत्वपूर्ण दस्तावेज़	
5. संगठनात्मक चार्ट	
6. वैधानिक निकाय - ईसी, एसी, एफसी, सीडीसी, सलाहकार समिति और सभी वैधानिक निकाय सदस्य और बैठक के कार्यवृत्त	
7. संकाय	
8. शिक्षाविद	
9. प्रकाशन	
10. परियोजनाएं	
11. घटनाक्रम और गतिविधियों का नियमित अद्यतन	

12. सभी स्कूल और विभाग (प्रत्येक विभाग का एक अलग वेबपेज होता है जिसमें विभाग के बारे में सारी जानकारी होती है) और संस्थान और केंद्र	
13. कोशिकाएँ	
14. नैक-एसएसआर	
15. एनआईआरएफ	
16. पूर्व छात्र	
17. अधिनियम, क़ानून और नीतियां	
18. आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर	
19. प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी	
20. आईक्यूएसी सेल	
21. अनुसंधान सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचे	
22. चल रहे प्रवेश, परीक्षाओं, परिणामों के संबंध में जानकारी	
23. भर्तियाँ	
24. सूचनाएं	
25. विश्वविद्यालय प्रकाशन, प्रपत्र, निर्देशिका	
26. निविदाएं और कोटेशन	
27. समय-समय पर अद्यतन की जाने वाली कोई अन्य जानकारी	

3.1.2 नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, (बी) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समय, (सी) सूचना और सुविधा काउंटर (आईएफसी) के संपर्क विवरण प्रदान करना आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन

इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व का कोई सीधा प्रावधान नहीं है। हालाँकि, वैधानिक प्राधिकरणों जैसे विश्वविद्यालय न्यायालय, कार्यकारी परिषद, सलाहकार समितियों, कॉलेज विकास परिषद, अकादमिक परिषद, वित्त समिति, भवन समिति आदि में जनता के सदस्यों को प्राधिकरण/प्राधिकरणों में नामित सदस्यों के रूप में शामिल करने की गुंजाइश है। विश्वविद्यालय के जो एक सदस्य की पूर्ण स्थिति का आनंद लेते हैं और वे अन्य सदस्यों के साथ समान अधिकारों और विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं।

https://rgu.ac.in/executive-council/

https://rgu.ac.in/academic-council/

https://rgu.ac.in/finance-committee/

https://rgu.ac.in/advisory-committees/

https://rgu.ac.in/university-court/

ऑनलाइन आरटीआई प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड आरटीआई पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है, और संलग्नक के साथ-साथ मांगी गई जानकारी ई-मेल और स्पीड/साधारण डाक के माध्यम से भेजी जाती है।
https://rgu.ac.in/right-to-information- cell/

विश्वविद्यालय की अंग्रेजी वेबसाइट (https://rgu.ac.in/), और हिंदी वेबसाइट (https://rgu.ac.in/?lang=hi) जनता के सदस्यों के साथ संचार के एक चैनल के रूप में कार्य करती है। नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन के लिए।

विश्वविद्यालय ने सभी वैधानिक निकायों जैसे विश्वविद्यालय न्यायालय, ईसी, एसी, वित्त समिति, (आरजीयू अधिनियम 2006, विश्वविद्यालय क़ानून, अध्यादेश और भारत सरकार के नियमों के प्रावधानों के अनुसार) में जनता के विभिन्न वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया है और अनुमति दी है। उन्हें वैधानिक निकाय बैठकों के दौरान नीति निर्माण और नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहा गया है। आरजीयू के न्यायालय/ईसी/एसी/एफसी में जनता के सदस्यों और अन्य संगठनों या भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं।

यूजीसी ने ग्यारहवीं योजना में एक नीतिगत निर्णय लिया कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान गुणवत्ता परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (आईक्यूएसी) स्थापित कर सकते हैं। IQAC की कल्पना संस्थागत स्तर पर गुणवत्तापूर्ण संस्कृति के निर्माण और सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के रूप में की गई थी। IQAC संस्थान की गुणवत्ता आश्वासन (QA) और गुणवत्ता संवर्धन (QE) गतिविधियों की योजना बनाने, मार्गदर्शन करने और बनाए रखने के लिए है। आईक्यूएसी अध्यक्ष के रूप में कुलपति, आठ वरिष्ठ संकाय सदस्यों, एक प्रशासनिक अधिकारी और तीन बाहरी विशेषज्ञों के साथ कार्यात्मक है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रदर्शन

(https://rgu.ac.in/internal-quality-assurance-cel-iqac/) को बेहतर बनाने और एक सहभागी प्रणाली को विकसित करने के लिए गठित IQAC सेल में जनता के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व शैक्षणिक और प्रशासन में कमियों को दूर करने और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हस्तक्षेपवादी रणनीतियों की योजना बनाने के लिए संस्थान। आरजीयू में आईक्यूएसी पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण-शिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया, बुनियादी ढांचे के संसाधनों, छात्रों की सहायता प्रणाली और शासन संरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समग्र गुणवत्ता वृद्धि के लिए काम करता है। IQAC का प्रतिनिधित्व बाहरी विशेषज्ञों, छात्र और पूर्व छात्रों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अधिकारियों और संकाय सदस्यों के रूप में सार्वजनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। IQAC उपरोक्त बिंदुओं पर छात्रों/शिक्षकों/अभिभावकों/कर्मचारियों/पूर्व छात्रों से फीडबैक लेता है, प्रशासनिक/शैक्षणिक/प्रयोगशाला/पुस्तकालय/पाठ्यचर्या लेखापरीक्षा आयोजित करता है, पूरी स्थिति का विश्लेषण करता है, और अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए वैधानिक निकायों को भेजे जाने वाले नीति प्रस्तावों का मसौदा तैयार करता है।

विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति/संस्थागत आचार समिति/पशु आचार समिति में समाज के विभिन्न वर्गों (https://rgu.ac.in/wp-content/uploads/2022/08/Advisory-Committee-Revised-1) के बाहरी प्रतिनिधि होते हैं। पीडीएफ).

यूनिवर्सिटी एनएसएस सेल ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न जीओ और एनजीओ के सहयोग से जागरूकता शिविर, सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित कीं और रक्तदान शिविर आयोजित किए।
इन वैधानिक निकायों (विश्वविद्यालय न्यायालय, ईसी, एसी और एफसी) की बैठकों के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rgu.ac.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सिस्टम में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों से समय-समय पर फीडबैक लिया जाता है। आरजीयू की हालिया वार्षिक और वित्तीय रिपोर्ट यहां उपलब्ध है
https://rgu.ac.in/executive-council/
https://rgu.ac.in/academic-council/
https://rgu.ac.in/finance-committee/

सूचना मैनुअल/हैंडबुक में उपलब्ध है

1. इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप: हां, विश्वविद्यालय की वेबसाइट विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वित्त रिपोर्ट, प्रवेश संभावनाएँ, आरटीआई सूचना मैनुअल, आरजीयू न्यूज़लेटर, अधिनियम और नीतियां, नियम और विनियम, वैधानिक निकाय बैठकों के कार्यवृत्त, खरीद आदेश, महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं, ई- प्रदर्शित करती है। प्रिंट संसाधन, और मैनुअल में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज़। उपर्युक्त सभी दस्तावेज़ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.rgu.ac.in पर सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं।
2. मुद्रित प्रारूप: आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट, वित्त रिपोर्ट, आरटीआई सूचना मैनुअल और प्रवेश प्रॉस्पेक्टस का मुद्रित प्रारूप आरटीआई कार्यालय में उपलब्ध है। आरटीआई मैनुअल का मुद्रित प्रारूप, अन्य सूचना मैनुअल और आरटीआई के तहत प्राप्त की जा सकने वाली जानकारी आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक की मांग पर उपलब्ध हो सकती है। जानकारी https://rgu.ac.in/right-to-information- cell/ पर उपलब्ध है।

3.1.3 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो

ACIC RGU फाउंडेशन की स्थापना 03.02.2021 को एक पंजीकृत कंपनी के रूप में की गई थी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, शिलांग, मेघालय के साथ पंजीकृत किया गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। यह एक छत्र संरचना है जिसे राज्य के साथ-साथ देश में नवाचार को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने के लिए अनिवार्य किया गया है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां और कार्यक्रम विकसित करता है और उद्यमशीलता क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों को मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करता है।
इसके अलावा, प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://rgu.ac.in/acic-rgu-foundation/ पर देखा जा सकता है।

3.1.4. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://rgu.ac.in/acic-rgu-foundation/ पर देखा जा सकता है।

3.1.5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)-रियायत समझौते

प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://rgu.ac.in/acic-rgu-foundation/ पर देखा जा सकता है।

3.1.6. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - संचालन और रखरखाव मैनुअल

प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://rgu.ac.in/acic-rgu-foundation/ पर देखा जा सकता है।

3.1.7. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - पीपीपी के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज़

प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://rgu.ac.in/acic-rgu-foundation/ पर देखा जा सकता है।

3.1.8. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - शुल्क, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है

प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://rgu.ac.in/acic-rgu-foundation/ पर देखा जा सकता है।

3.1.9. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)-आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी

प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://rgu.ac.in/acic-rgu-foundation/ पर देखा जा सकता है।

3.1.10. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायत प्राप्तकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया

प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://rgu.ac.in/acic-rgu-foundation/ पर देखा जा सकता है।

3.1.11. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - पीपीपी परियोजना के तहत किए गए सभी भुगतान

प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://rgu.ac.in/acic-rgu-foundation/ पर देखा जा सकता है।

3.2. क्या उन नीतियों/निर्णयों का विवरण, जो जनता को प्रभावित करते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है [धारा 4(1)(सी)])

3.2.1. महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय प्रक्रिया को और अधिक संवादात्मक बनाने के लिए सभी प्रासंगिक तथ्य प्रकाशित करें - पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/विधान

विभिन्न वैधानिक निकायों, जैसे कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, सलाहकार समिति, वित्त समिति, भवन समिति में लिए गए निर्णयों/संकल्पों के कार्यवृत्त सार्वजनिक पहुंच के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे यहां प्राप्त किया जा सकता है:
https://rgu.ac.in/executive-council/
https://rgu.ac.in/academic-council/
https://rgu.ac.in/finance-committee/
https://rgu.ac.in/advisory-committees/

3.2.2. प्रक्रिया को और अधिक इंटरैक्टिव बनाने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्य प्रकाशित करें - सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें

आगंतुक (भारत के माननीय राष्ट्रपति) शैक्षणिक और सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट पांच व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय यानी कार्यकारी परिषद (ईसी) में नामांकित करते हैं। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी कोर्ट के दो सदस्यों को भी ईसी के विजिटर द्वारा नामित किया जाता है। शैक्षणिक ख्याति प्राप्त चार व्यक्तियों को अकादमिक परिषद (एसी) में भी नामांकित किया गया है। वित्त समिति में शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के प्रतिनिधियों के अलावा कार्यकारी परिषद द्वारा नामित तीन व्यक्ति और विश्वविद्यालय न्यायालय द्वारा नामित एक व्यक्ति शामिल हैं। विश्वविद्यालय न्यायालय में कुलपति द्वारा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा से एक-एक सांसद, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विधायक और साथ ही विश्वविद्यालय न्यायालय के विजिटर द्वारा चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित किया जाता है। कॉलेज विकास परिषद का गठन हर दो साल में किया जाता है और इसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी, संकाय सदस्य और राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि, संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्य और शिक्षक शामिल होते हैं। यह संबद्ध कॉलेजों के सामान्य शैक्षिक मानकों में लगातार सुधार के लिए उपाय करने

के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि, नीति निर्माण में, जनता के सदस्यों को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य होने के आधार पर नीति निर्माण में भागीदारी होती है।

https://rgu.ac.in/executive-council/
https://rgu.ac.in/academic-council/
https://rgu.ac.in/finance-committee/
https://rgu.ac.in/advisory-committees/

3.2.3 प्रक्रिया को और अधिक इंटरैक्टिव बनाने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्य प्रकाशित करें- नीति निर्माण से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करें

आगंतुक (भारत के माननीय राष्ट्रपति) शैक्षणिक और सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट पांच व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय यानी कार्यकारी परिषद (ईसी) में नामांकित करते हैं। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी कोर्ट के दो सदस्यों को भी ईसी के विजिटर द्वारा नामित किया जाता है। शैक्षणिक ख्याति प्राप्त चार व्यक्तियों को अकादमिक परिषद (एसी) में भी नामांकित किया गया है। वित्त समिति में शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के प्रतिनिधियों के अलावा कार्यकारी परिषद द्वारा नामित तीन व्यक्ति और विश्वविद्यालय न्यायालय द्वारा नामित एक व्यक्ति शामिल हैं। विश्वविद्यालय न्यायालय में कुलपति द्वारा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा से एक-एक सांसद, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विधायक और साथ ही विश्वविद्यालय न्यायालय के विजिटर द्वारा चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित किया जाता है। कॉलेज विकास परिषद का गठन हर दो साल में किया जाता है और इसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी, संकाय सदस्य और राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि, संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्य और शिक्षक शामिल होते हैं। यह संबद्ध कॉलेजों के सामान्य शैक्षिक मानकों में लगातार सुधार के लिए उपाय करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि, नीति निर्माण में, जनता के सदस्यों को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य होने के आधार पर नीति निर्माण में भागीदारी होती है।

https://rgu.ac.in/executive-council/
https://rgu.ac.in/academic-council/
https://rgu.ac.in/finance-committee/
https://rgu.ac.in/advisory-committees/

3. 3 सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4(3)]

3.3.1. संचार के सबसे प्रभावी साधन का उपयोग - इंटरनेट (वेबसाइट)

1. **विश्वविद्यालय की अंग्रेजी वेबसाइट** (https://rgu.ac.in/), **और हिंदी वेबसाइट** (https://rgu.ac.in/?lang=hi) **जनता के साथ संचार के एक चैनल के रूप में कार्य करती है। नीति निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन के संबंध में।**
2. **सभी अध्यादेश अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रस्तुत किए गए हैं और** https://rgu.ac.in/act- Ordinances/ **पर उपलब्ध हैं।**
3. **अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आरटीआई अधिनियम** - https://rgu.ac.in/right-to-information- cell/ **पर उपलब्ध है।**

3.4 सूचना मैनुअल/हैंडबुक की पहुंच का प्रपत्र [धारा 4(1)(बी)]

3.4.1. सूचना मैनुअल/हैंडबुक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है

हां, https://rgu.ac.in/right-to-information- cell/ **पर उपलब्ध है।**

3.4.2. सूचना मैनुअल/हैंडबुक मुद्रित प्रारूप में उपलब्ध है

हाँ, सीपीआईओ के पास उपलब्ध है।

3.5 सूचना मैनुअल/हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(बी)]

3.5.1 निःशुल्क उपलब्ध सामग्रियों की सूची

विश्वविद्यालय की वेबसाइट विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वित्त रिपोर्ट, प्रवेश संभावनाएं, आरटीआई सूचना मैनुअल, सीयूपीबी न्यूज़लेटर, अधिनियम और नीतियां, नियम और विनियम, वैधानिक निकाय बैठकों के कार्यवृत्त, खरीद आदेश, महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं, ई-प्रिंट संसाधन और अन्य सभी दस्तावेज़ प्रदर्शित करती है। इस मैनुअल में उल्लेख किया गया है. उपर्युक्त सभी दस्तावेज़ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.rgu.ac.in पर सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं।

3.5.2 माध्यम की उचित कीमत पर उपलब्ध सामग्रियों की सूची

आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट, वित्त रिपोर्ट, आरटीआई सूचना मैनुअल और प्रवेश प्रॉस्पेक्टस का मुद्रित प्रारूप आरटीआई कार्यालय में उपलब्ध है। आरटीआई मैनुअल का मुद्रित प्रारूप, अन्य सूचना मैनुअल और आरटीआई के तहत उपयोग की जा सकने वाली जानकारी आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक की मांग पर उपलब्ध हो सकती है। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार सभी जानकारी सुलभ हो सकती है। https://rgu.ac.in/right-to-information- cell/ पर उल्लिखित आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों और इसके नियमों के अनुसार सीपीआईओ कार्यालय से पहुंच योग्य।

मैनुअल में जानकारी अंतिम बार 01 जुलाई 2024 को अपडेट की गई